न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला बीकानेर

इजलास :– श्री प्रदीप कुमार आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 12/2019

अनवान :–
राजस्व वाद
स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत

...............................वादी

बजरंग कुमार पुत्र दुर्गाप्रसाद माली साकीन सुजानदेसर

........................प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पेरोकारराज वादी राज्य के लिये
2. इकतरफा कार्यवाही प्रतिवादीगण के लिए

–: निर्णय :–

दिनांक :– 12.02.2020

20.02.2019 को विचाराधीन प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ।

संक्षेप में प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी स्टेट ऑफ राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोलायत ने एक आवेदन पत्र बजरंग कुमार अप्राथीा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करने हुवे अभिकथन किया कि

1. यह है कि रोही ग्राम कोटडी के खसरा नम्बर 157 रकबा 11.97 हैक्टर प्रतिवादी बजंरग कुमार पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति माली साकिन सुजानदेसर तहसील बीकानेर की खातेदारी कृषि भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के है।
2. यह है कि पटवारी हल्का कोटडी एवं भू. अभिलेख निरीक्षक कोलायत से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नम्बर 157 में से 0.25 हैक्टर अवैध ईट भट्टा स्थापित बिना सक्षम अधिकारी के किया गया है। रिपोर्ट पटवारी व नजरी नक्शा संलग्न है।
3. यह है कि प्रतिवादी के द्वारा किये गये अवैध खनन के कारण कृषि भूमि का उपयोग अकृषि कार्य के लिये किया हुआ है, जिससे उक्त खसरा नम्बर 157 मी के मूल स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर काश्तकारी अधिकार रिज्यूम किये जाकर कब्जा बहक सरकार लिया जावे।
4. अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रोही कोटडी के खसरा नम्बर 157 रकबा 0.25 हैक्टर में बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अवैध खनन कर कृषि भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ करने के कारण इस वाद पत्र को स्वीकार किया जावें।

उक्त खसरा नम्बर 157 कुल तादादी 0.25 हैक्टर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में रिज्यूम करने के आदेश देते हुए खातेदारी अधिकार समाप्त किये जावें।

नोटिश जारी किया गया। नोटिश तामील हुवा। प्रतिवादीगण बावजुद तामील के अनुपस्थित रहे। लगातार दिनांक 22.02.2019 से पत्रावली जबाव से जैरकार रही। प्रतिवादी अनुपस्थित रहने पर दिनांक 27.02.2020 को एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी। एकतरफा बहस समायत की गयी।

परिणामस्वरूप वाद वादी खिलाफ प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री निम्न सादिर की जाती है :–

1. कि तहसील कोलायत के ग्राम कोटडी के खसरा नम्बर 157 मी रकबा 0.25 हैक्टर जो राजस्व विभाग की जमाबन्दी सवंत 2074 –2077 में अंकित है, का आराजीराज दर्ज करने के आदेश दिये जाते है, तथा इसमें प्रतिवादी का नाम कलमजन किया जाता है।
2. कि विवादित भूमि से प्रतिवादी को बेदखल किया जाता है।
3. कि विवादित भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया जावें।

उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री मुरतीब किया जावें। निर्णय व डिक्री की एक प्रति तहसीलदार कोलायत को पालनार्थ भिजवायी जावें।

आदेश आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Kumar
Date: 2020.03.20 12:07:41 IST
Reason: SelfAttested